उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1

संख्याः-19/2019/1379/80-1-2019-600(26)/2018

लखनऊ दिनांक 20 सितम्बर, 2019

**अधिसूचना**

चूँकि राज्य सरकार लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन 1964) की धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से मण्डी क्षेत्र ललितपुर के निम्नलिखित क्षेत्र को सरकारी अधिसूचना संख्या-रा0कृ0 वि0अ0-1038(वि0)/177 दिनांक 07.04.1969 में इस रूप में घोषित ललितपुर प्रधान मण्डी स्थल के क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं-

**प्रधान मण्डी स्थल ललितपुर में सम्मिलित किया जाने वाला क्षेत्र**

विकास खण्ड जखौरा (जिला ललितपुर) की ग्राम पंचायत महर्रा की सीमाओं के भीतर का सम्पूर्ण क्षेत्र।

आज्ञा से,

अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

**संख्याः-19/2019/ 1379(1)/80-1-2019तद्दिनांक।**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड 'ख' में प्रकाशनार्थ । कृपया उक्त गजट की 50 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।
2. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, ललितपुर।
4. सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, ललितपुर।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

समर बहादुर
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।